न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 512/2023

अपीलांट — बनाम — रेस्पोडेन्ट

1. मगाराम पुत्र भोमाराम जाट
2. पेपाराम पुत्र मोडाराम जाट
3. देवाराम पुत्र मोडाराम जाट
4. लूणाराम पुत्र हुकमाराम जाट
5. चनणाराम पुत्र सोनाराम जाट

(निवासी शहीद लूम्बाराम नगर, सोलंकियातला, तह0 शेरगढ, जोधपुर)

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी शेरगढ आदेश कमांकः राजस्व/प्र.ग्रा.सं.अ./2023/4 दिनांक 30.05.2023

उपस्थिति –
1. श्री छोटूसिंह सोढा वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 13.05.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2023 के द्वारा तहसीलदार शेरगढ के पत्र कमांक 4068 दिनांक 23.05.2023 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम शहीद लूंबाराम नगर के उल्लेखित खसरान की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठ़ा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। द्वौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स के खसरा नम्बर 661 की भूमि में से 0.7689 हैक्टर भूमि को गै0मु0 सडक घोषित किया गया है। उक्त खसरान में अपीलांट्स बतौर सह–खातेदार कब्जा काश्त है तथा मौके पर चलायमान रास्ता नही है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को नोटिस एवं

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

रीडर
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

सुनवाई का अवसर नही दिया गया तथा न ही इनके द्वारा रास्ते के लिए सहमति दी गई है। सरपंच ग्राम पंचायत पदमगढ द्वारा दिनांक 19.5.23 को अपीलांट्स एवं अन्य सह– खातेदारान अथवा उनके विधिक वारिसान की सहमति लिए बिना ही मजमे आम रिपोर्ट तैयार कर उसके आधार पर प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत करवा कर एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित करवा दिया गया। ग्रा0पं0 के प्रस्ताव/रिपोर्ट में अपीलांट्स के हस्ताक्षर नही है और ना ही उक्त प्रस्ताव/रिपोर्ट उनकी उपस्थिति में बनाई गई। मौके पर अपीलांट्स के खसरान की तारबंदी की हुई है तथा आस–पास के खेतों में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट बिना पैमाईश, बिना मौका जांच किए व बिना अपीलांट्स को सूचित किए अन्य ग्रामवासियों के हस्ताक्षर करवाकर तैयार करवाई गई है। इसके अलावा राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत तहसीलदार द्वारा मौके पर ग्रेवल सड़क से निर्मित आम रास्ते के लिए ही अनुशंषा की जाती है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार शेरगढ द्वारा राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–1) विभाग के परिपत्र दिनांक 24.8.16 के अनुसरण में रास्ते संबंधित समस्याओं का निराकरण अभियान–2016 में प्राप्त प्रस्तावों को प्रेषित किया गया। उक्त प्रस्ताव राज्य सरकार के परिपत्र में दिये गये निर्देश एवं नोर्म्स अनुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित सार्वजनिक रास्ते का राजस्व रेकर्ड में मौका फर्द अनुसार दर्ज करने की अनुशंषा की गई। जिसका दिनांक 19–20.5.23 को मंहगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कैम्प ग्रा0पं0 पदमगढ में मजमे आम उक्त रास्ते में आने वाले खसरान के खातेदारों की सहमती ली गई। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–1) विभाग के परिपत्र दिनांक 14.4.23 के अनुसरण में स्वीकृति प्रदान की गई। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार शेरगढ के प्रस्ताव पर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवााई का अवसर नही दिया जाना पाया गया है। इसके अलावा उक्त खसरान की भूमि में से प्रस्तावित रास्ते के नक्शें एवं ऑन लाईन भू नक्शा में दर्शाये गये रास्ते की स्थिति

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

रीडर
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

भिन्न है, अतः अपीलांट का यह कथन कि मौके पर स्वीकृत रूप से वैकल्पिक व चालू रास्ता मौजूद है, मानने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2023 को अपीलांट्स के ख0नं0 661 की रकबा भूमि तक निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 13 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

13.05.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

रीडर
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर